कट्टुकंडी एडाथिल कृष्णन और अन्य
बनाम
कट्टुकंडी एडाथिल वाल्सन और अन्य

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार :सिविल अपील सं. 2010 का 6406–6407

13 वीं, जून 2022

केरल उच्च न्यायालय, अर्नाकुलम द्वारा की 1996 की ए स नं०– 102 एवं 107 में पारित निर्णय और आदेश के विरूद्ध–

वी चितंम्बरेश, के राजीव, अधिव्क्तागण– अपीलकर्ता के लिए
आर. बसन्त, वी गिरि, वरीय अधिव्क्तागण, रघनेथ बसन्त, के. बी. सिवारामा कृष्णन, मिस. लिज मैथ्युज, अमिथ कृष्णन, अक्षय सहाय, मिस. रूपाली लखोटिया, अधिव्क्तागण– प्रतिवादियों की ओर से।

न्यायनिर्णय द्वारा–

एस अब्दुल नजीर, जे.

1. संदर्भित अपीलें केरल उच्च न्यायालय एर्नाकुलम द्वारा 1996 (ए) के एएस नंबर 102 और 1996 के एएस नंबर 107 में पारित 05.02.2009 के निर्णय और डिक्री से उत्पन्न होती हैं, जिसके तहत उच्च न्यायालय ने अपील की अनुमति दी है और विचारण न्यायालय द्वारा पारित बंटवारे की डिक्री को रद्द कर दिया।

2. अपीलकर्ता वादी थे और कट्टुकंडी इदाथिल करुणाकरन प्रतिवादी थे जिनकी वाद के लंम्बित रहने के दौरान मृत्यु हो गई थी। इसलिए, उनके कानूनी प्रतिनिधियों को प्रतिवादी संख्या 2 से 5 के रूप में रिकॉर्ड पर लाया गया। सुविधा के लिए, पार्टियों को विचारण न्यायालय के समक्ष उनकी संबंधित रैंकिंग के अनुसार संबोधित किया गया है।

3. मुकदमे में, वादी ने तर्क दिया कि मुकदमे की संपत्ति कट्टुकंडी एडाथिल कानारन वैद्यर की थी, जिनके चार बेटे क्रमश: दामोदरन, अच्युतन, शेखरन और नारायणन थे।पहला वादी दामोदरन का बेटा है, जिसका जन्म चिरुथाकुट्टी के साथ विवाह से हुआ था, और दूसरा वादी पहले वादी का बेटा है।अच्युतन का करुणाकरण नाम का एक बेटा था, जो प्रतिवादियों का पूर्ववर्ती था। शेखरन कुंवारे थे और उनकी मृत्यु संतानहीन हो गई। नारायणन ने लक्ष्मी से शादी की और उनकी जानकी नाम की एक बेटी थी, जिसकी मृत्यु भी एक अविवाहिता के रूप में हुई। वादी ने वाद अनुसूची संपत्ति में आधे हिस्से का दावा किया।

4. प्रतिवादियों का मामला यह है कि अच्युतन को छोड़कर सभी बच्चे कुंवारे ही मर गए और करुणाकरण अच्युतन का इकलौता पुत्र है। उन्होंने वादी के इस तर्क का खंडन किया कि दामोदरन ने चिरुथाकुट्टी से शादी की थी और पहला वादी उक्त विवाह से पैदा हुआ बेटा था। उनका आगे तर्क यह था कि चिरुथाकुट्टी दामोदरन की पत्नी नहीं थी। इस प्रकार, यह दलील दी गई कि वादी वाद अनुसूची संपत्ति में किसी भी हिस्से के हकदार नहीं हैं।

5. पक्षों की दलीलों के आधार पर, विचारण न्यायालय ने प्रासंगिक मुद्दे तय किए। विचारण न्यायालय ने रिकॉर्ड पर मौजूद सबूतों की जांच के बाद माना कि दामोदरन का चिरुथाकुट्टी के साथ लंबे समय तक सहवास था और इस तरह के सहवास के कारण, यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि दामोदरन ने चिरुथाकुट्टी से शादी की थी और पहला वादी उक्त विवाह से पैदा हुआ बेटा था। विचारण न्यायालय ने तदनुसार मुकदमे की संपत्ति को दो शेयरों में विभाजित करने के लिए एक प्रारंभिक डिक्री पारित की और ऐसा एक हिस्सा वादी को आवंटित किया गया।

6. उक्त निर्णय और डिक्री से व्यथित होकर, पहले प्रतिवादी ने 1996 की एएस संख्या 102 की अपील दायर की, और अन्य प्रतिवादियों ने उच्च न्यायालय के समक्ष 1996 की एक और अपील एएस संख्या 107 दायर की। जब मामले पर बहस चल रही थी, तब प्रतिवादियों द्वारा एक और तर्क सामने रखा गया कि यदि पहला वादी चिरुथाकुट्टी के माध्यम से दामोदरन से पैदा हुआ था, तो वह केवल एक नाजायज बच्चा हो सकता है। जब तक दामोदरन और चिरुथाकुट्टी के बीच विवाह साबित नहीं हो जाता, तब तक वादी सहदायिक संपत्ति पर अधिकार का दावा नहीं कर सकते। प्रतिवादियों का यह तर्क उस आशय के बिना किसी दलील की थी और विचारण न्यायालय के समक्ष प्रतिवादियों द्वारा ऐसा कोई तर्क नहीं रखा गया था।

7. उच्च न्यायालय ने रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्यों की विवेचना करते हुए माना कि पहला वादी दामोदरन का बेटा था। हालाँकि, न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गए दस्तावेज़ यह नहीं दिखाते हैं कि दामोदरन ने वास्तव में चिरुथाकुट्टी से शादी की थी और दामोदरन और चिरुथाकुट्टी के बीच पहले से मौजूद वैध विवाह का कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। उच्च न्यायालय ने राय दी कि पहले वादी की स्थिति एक नाजायज बच्चे की है। ऐसा होने पर, वादी सहदायिक संपत्ति में हिस्सेदारी के हकदार नहीं होंगे क्योंकि दामोदरन और चिरुथाकुट्टी के बीच विवाह वैध नहीं था। इस निष्कर्ष के आधार पर, उच्च न्यायालय ने मामले को नए सिरे से विचार करने के लिए विचारण न्यायालय में वापस भेज दिया। विचारण न्यायालय ने पक्षों को अतिरिक्त सबूत पेश करने और, यदि आवश्यक हो, दलीलों में संशोधन करने की अनुमति दी ताकि विवाह के तथ्य पर विचार किया जा सके।

8. वादी ने रिमांड के उपरोक्त आदेश को इस न्यायालय के समक्ष चुनौती दी और इस न्यायालय ने उच्च न्यायालय को रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्य के आधार पर अपीलों पर निर्णय लेने के निर्देश के साथ रिमांड के आदेश को रद्द करके अपील की अनुमति दी।

9. इसके बाद, उच्च न्यायालय ने अपीलों पर सुनवाई की और इसे यह मानते हुए अनुमति दी कि पहले वादी के पिता और मां के बीच लंबे समय तक सहवास स्थापित करने के लिए कोई सबूत नहीं है और दस्तावेजों से केवल यह साबित हुआ कि पहला वादी बेटा है। दामोदरन का, लेकिन वैध पुत्र नहीं, जिससे संपत्ति के बंटवारे से इनकार कर दिया गया। जैसा कि ऊपर देखा गया है, उच्च न्यायालय के इस फैसले को इन अपीलों में चुनौती दी गई है।

10. हमने अपीलकर्ताओं वादी के विद्वान वरिष्ठ वकील श्री वी. चितांबरेश और प्रतिवादी प्रतिवादियों के विद्वान वरिष्ठ वकील श्री आर. बसंत और श्री वी. गिरी को सुना है।

11. श्री वी. चितांबरेश का कहना है कि वादी द्वारा प्रस्तुत किए गए कई दस्तावेज़ों से पता चलता है कि दामोदरन पहले वादी के पिता थे और चिरुथाकुट्टी दामोदरन की पत्नी थीं। चूंकि उनकी शादी मुकदमा दायर होने से 50

साल पहले (अब 90 साल) पहले हुई थी, इसलिए उनकी शादी का कोई दस्तावेजी सबूत होने की कोई संभावना नहीं है। उन्होंने हमें वादी द्वारा प्रस्तुत विभिन्न दस्तावेजों से अवगत कराया है, जिनमें पति के घर से चिरुथाकुट्टी को समय-समय पर किए गए भुगतान का उल्लेख है। उन्होंने हमें वादी पक्ष के साक्ष्यों और अपने तर्क के समर्थन में वादी पक्ष की ओर से जांचे गए गवाहों से भी अवगत कराया है। आगे यह तर्क दिया गया है कि वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज़ पार्टियों के बीच किसी भी विवाद के उत्पन्न होने से बहुत पहले से अस्तित्व में थे। ये दस्तावेज़ निर्णायक रूप से दिखाएंगे कि पहला वादी दामोदरन और चिरुथाकुट्टी का पुत्र था और प्रतिवादियों का यह तर्क कि दामोदरन की मृत्यु कुंवारे या बिना किसी वैध पुत्र के हुई, बिल्कुल भी विश्वास नहीं किया जा सकता है। आगे यह भी प्रस्तुत किया गया है कि कानून अवैधता के विपरीत, वैधता घोषित करने के पक्ष में है। एक पुरुष और महिला के लंबे समय तक एक साथ रहने से उनके बीच विवाह की धारणा बन जाएगी और ऐसे रिश्ते से पैदा हुए बच्चे वैध बच्चे माने जाएंगे। आगे यह तर्क दिया गया है कि हालांकि भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 114 के तहत बनाई गई ऐसी धारणा खंडन योग्य है, जैसा कि विचारण न्यायालय ने सही माना है कि प्रतिवादियों ने वर्तमान मामले में इस धारणा का खंडन करने के लिए कोई सार्थक सबूत पेश नहीं किया है।

12. दूसरी ओर, प्रतिवादियों के विद्वान वरिष्ठ वकील श्री आर. बसंत और श्री वी. गिरि यह प्रस्तुत करेंगे कि दामोदरन ने चिरुथाकुट्टी से शादी नहीं की थी और पहला वादी दामोदरन का वैध पुत्र नहीं था।मुकदमा जानबूझकर देर से दायर किया गया था जब इस मुद्दे पर निर्णायक सबूत पेश करना अब संभव नहीं था। चिरुथाकुट्टी के जीवनकाल के दौरान विभाजन के लिए कोई भी दावा नहीं किया गया था। यह तर्क दिया गया है कि प्रदर्श ए 3 को छोड़कर विवाह या लंबे समय तक सहवास का कोई भी सबूत नहीं है और वादी द्वारा भरोसा किए गए सभी दस्तावेज़ दामोदरन की मृत्यु के बाद अस्तित्व में आए हैं। आगे यह तर्क दिया गया है कि प्रदर्श A3 भी दामोदरन और चिरुथाकुट्टी के बीच विवाह/लंबे समय तक सहवास को साबित नहीं करता है। यह भी तर्क दिया गया है कि वादी साफ-सुथरे हाथों से अदालत में नहीं आए हैं। इसलिए कोर्ट को उनके पक्ष में कोई नरमी नहीं दिखानी चाहिए। तदनुसार, प्रतिवादियों ने अपीलों को खारिज करने की प्रार्थना की है।

13. हमने पक्षों के विद्वान वरिष्ठ वकील द्वारा बार में दी गई दलीलों पर ध्यानपूर्वक विचार किया है और रिकॉर्ड पर रखी गई सामग्रियों का अवलोकन किया है।

14. यह विवादित नहीं है कि वाद संपत्ति एक कट्टुकंडी एडाथिल परिवार की है, जो विरासत के मिताक्षरा कानून द्वारा शासित कालीकट का एक थिया परिवार है। उक्त संपत्ति मूल रूप से कट्टुकंडी एडाथिल कानारन वैद्यर की थी, जिनके चार बेटे थे, दामोदरन, अच्युतन, शेखरन और नारायणन। यह भी माना जाता है कि अच्युतन ने कल्याणी से शादी की और उनका करुणाकरण (प्रतिवादी नंबर 1) नाम का एक बेटा था। करुणाकरण ने उमा देवी (प्रतिवादी नंबर 3) से शादी की और उनके तीन बच्चे हुए, जिनके नाम हैं, वलसन, कस्तूरी और सरस्वती बाई (क्रमशः प्रतिवादी नंबर 2, 4 और 5)। शेखरन और नारायणन ने शादी नहीं की। वादी ने तर्क दिया है कि दामोदरन ने चिरुथाकुट्टी से शादी की और उनका कृष्णन (वादी नंबर 1) नाम से एक बेटा है। हालाँकि, प्रतिवादियों ने तर्क दिया है कि दामोदरन ने कभी चिरुथाकुट्टी से शादी नहीं की। निचली अदालत ने इस तथ्य का निष्कर्ष दर्ज किया है कि पहला वादी दामोदरन और चिरुथाकुट्टी का पुत्र था, लेकिन वैध पुत्र नहीं था।

15. यह सर्वविदित है कि यदि एक पुरुष और एक महिला पति–पत्नी के रूप में लंबे समय तक एक साथ रहते हैं, तो विवाह के पक्ष में एक धारणा होगी। साक्ष्य अधिनियम की धारा 114 के तहत ऐसी धारणा बनाई जा सकती है। हालाँकि, अनुमान खंडन योग्य है, जो यह साबित करने के लिए रिश्ते को कानूनी मूल से वंचित करना चाहता है कि कोई शादी नहीं हुई थी उस पर एक भारी बोझ पड़ता है ।

16.आंद्राहेंनेडिगे डिनोहामी और अन्य बनाम विजेतुंगे लियानापतबेंडिज बालाहामी और अन्य[1] में., प्रिवी काउंसिल का सामान्य कथन इस प्रकार था:

"...जहां एक पुरुष और महिला को पुरुष और पत्नी के रूप में एक साथ रहने के लिए साबित किया जाता है, कानून यह मानेगा, जब तक कि इसके विपरीत स्पष्ट रूप से साबित नहीं किया जाता है, कि वे एक वैध विवाह के परिणामस्वरूप एक साथ रह रहे थे और उपपत्नी की स्थिति में नहीं थे।"

17. मोहब्बत अली खान बनाम मोहम्मद इब्राहिम खान[2] में एक बार फिर इसे प्रिवी काउंसिल द्वारा निम्नानुसार निर्धारित किया गया था:

"जब एक पुरुष और एक महिला कई वर्षों तक लगातार एक साथ रहते हैं तो कानून विवाह के पक्ष में और उपपत्नी के विरुद्ध मानता है।"

18. बद्री प्रसाद बनाम उप. समेकन निदेशक और अन्य[3] इस न्यायालय द्वारा यह माना गया कि विवाह के पक्ष में एक मजबूत धारणा उत्पन्न होती है जहां दो साझेदार पति और पत्नी के रूप में लंबे समय तक एक साथ रहते हैं। यद्यपि अनुमान खंडन योग्य है, एक भारी बोझ उस पर पड़ता है जो संबंध को कानूनी मूल से वंचित करना चाहता है। कानून वैधता के पक्ष में झुकता है और कमीनेपन पर नाराजगी जताता है।

19. एसपीएस बालासुब्रमण्यम बनाम सुरुत्तायन उर्फ अंदली पदयाची और अन्य[4] में, इस न्यायालय ने निम्नानुसार निर्णय दिया:

“4. इस न्यायालय ने जो तय किया है वह यह है कि यदि कोई पुरुष और महिला पति–पत्नी के रूप में लंबे समय तक एक साथ रहते हैं तो दोनों के बीच मौजूद विवाह की वैधता का कानून में एक अनुमान उत्पन्न होता है। लेकिन अनुमान खंडन योग्य है।[देखें: गोकुल चंद बनाम परवीन कुमारी – एआईआर 1952 231: 1952 एससीआर 825]"

20. इसी तरह का दृष्टिकोण इस न्यायालय द्वारा तुलसा और अन्य बनाम दुर्गतिया और अन्य[5] में लिया गया है; चैलम्मा बान तिलगा और अन्य[6]; मदन मोहन सिंह और अन्य बनाम रजनी कांत और अन्य [7] और इंद्रा सरमा बनाम वी के वी सरमा [8]

21. वादी के अनुसार, दामोदरन ने वर्ष 1940 में चिरुथाकुट्टी से शादी की थी। हालाँकि, उनकी शादी का कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है। पहले वादी कृष्णन का जन्म वर्ष 1942 में हुआ था। इसलिए, इन अपीलों में विचार के लिए प्रश्न यह है कि क्या बस्ती दामोदरन और चिरुथाकुट्टी के बीच पतिपत्नी का रिश्ता स्थापित करने के लिए लंबे सहवास साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत हैं।

22. पहले वादी की जांच PW1 के रूप में की गई, जिसने बताया कि उसके पिता दामोदरन और मां चिरुथाकुट्टी सूट शेड्यूल संपत्ति में रहते थे। PW1 ने आगे बताया कि अपने पिता की मृत्यु के बाद जब उन्हें नौकरी मिली तो उन्होंने अपनी मां के साथ अपना निवास स्थान बदल लिया। PW1 ने यह भी कहा है कि प्रतिवादी ने वर्ष 1985 में अपनी माँ की मृत्यु तक आय का एक हिस्सा दिया था। PW2 एक पड़ोसी है। अपने साक्ष्य में उन्होंने कहा है कि कट्टुकंडी एडाथिल दामोदरन ने चिरुथाकुट्टी से शादी की थी। वे कट्टुकंडी एडाथिल हाउस में पति–पत्नी के रूप में रहते थे। उनका कृष्णन नाम का एक बेटा है। अपनी जिरह में उसने बताया कि रीति–रिवाज के मुताबिक उनकी शादी में कुछ लोग शामिल हुए थे। शादी से पहले भी, चिरुथाकुट्टी कट्टुकंडी एडाथिल हाउस में थी। PW2 ने यह भी कहा है कि चिरुथाकुट्टी ने चालापुरम में एक कमरा किराए पर लिया था और शादी के बाद, वे एक किराए के घर में रहे थे और दामोदरन की बहन ने भी शादी में भाग लिया था। PW2 के साक्ष्य से यह भी पता चलता है कि दामोदरन और चिरुथाकुट्टी के बीच विवाह एक प्रेम विवाह था।

23. वादी ने पहले वादी का जन्म प्रमाणपत्र प्रदर्श–ए 9 के रूप में प्रस्तुत किया है। इस दस्तावेज़ के अनुसार, पहली वादी की जन्म तिथि 12.05.1942 दर्शायी गयी है। के ई दामोदरन और चिरुथाकुट्टी को पिता और माता के रूप में वर्णित किया गया है। प्रदर्श–बी1 प्रतिवादियों द्वारा प्रस्तुत समान प्रमाणपत्र की प्रति है। प्रदर्श–ए 9 और प्रदर्श–बी1 की तुलना करने पर पता चलता है कि प्रदर्श–ए 9 में जन्म स्थान के संबंध में कुछ सुधार किए गए हैं। हालाँकि, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि दोनों दस्तावेजों में, पहले वादी के पिता और माता का नाम एक ही है यानी क्रमशः के ई दामोदरन और चिरुथाकुट्टी। प्रदर्श–ए 2 बीमा पॉलिसी है जिसमें उनके घर का नाम कट्टुकंडी एडाथिल दिखाया गया है। प्रदर्श–ए 2 दिनांक 26.04.1966. प्रदर्श–ए 3 के ई दामोदरन का माध्यमिक विद्यालय छोड़ने का प्रमाणपत्र है जो उनके पास रखा हुआ है। उनके अनुसार उन्हें वैसा ही मिला क्योंकि वह दामोदरन के पुत्र हैं।प्रदर्श–ए 4, दिनांक 01.08.1963, पहले वादी के पक्ष में जारी किया गया एक व्यापार प्रमाणपत्र है जो व्यावसायिक ट्रेडों में प्रशिक्षण के लिए राज्य परिषद के सचिव द्वारा जारी किया गया था, क्योंकि वह जूनियर टेक्निकल स्कूल, मंजेरी का छात्र था। इस प्रमाणपत्र में पहले वादी का नाम कृष्णन के. पुत्र श्री दर्शाया गया है। के दामोदरन. घर का नाम एडाथिल हाउस, चलप्पुरम दिखाया गया है।

24. वादी ने प्रदर्श–ए 5, मलयाला मनोरमा डेली दिनांक 16.02.1985 का प्रस्तुत किया है। इस पेपर में बताया गया है कि कट्टुकंडी एडाथिल दामोदरन की पत्नी चिरुथाकुट्टी, जिनकी उम्र 75 वर्ष थी, का निधन हो गया है। पहले वादी का नाम चिरुथाकुट्टी के पुत्र के रूप में दिखाया गया है। प्रदर्श–ए 6 वर्ष 1970 की मतदाता सूची की सच्ची प्रति है। इस दस्तावेज़ में, चिरुथाकुट्टी का नाम केई दामोदरन की पत्नी के रूप में दिखाया गया है। प्रदर्श–ए 7 दिनांक 24.03.1980 ग्राम अधिकारी पन्नियंकारा के समक्ष प्रथम वादी द्वारा दायर याचिका है। इस दस्तावेज़ में पहले वादी को ग्राम अधिकारी द्वारा दामोदरन के पुत्र के रूप में प्रमाणित किया गया है। वहीं दिनांक 24.03.1980 है। प्रदर्श–ए 8 भी एक ऐसा ही प्रमाण पत्र है जिसमें ग्राम अधिकारी द्वारा पहले वादी को दामोदरन का पुत्र बताया गया है। यह दिनांक 04.05.1979 है। चिरुथाकुट्टी के मृत्यु प्रमाण पत्र दिनांक 15.12.1985 (प्रदर्श–ए 10) में उनके पति का नाम दामोदरन दर्शाया गया है। प्रदर्श–ए 11 पहले वादी का चुनावी कार्ड है जिसमें पहले वादी को दामोदरन का बेटा बताया गया है और चिरुथाकुट्टी को दामोदरन की पत्नी बताया गया है। वादी ने कई अन्य दस्तावेज़ भी प्रस्तुत किए हैं जैसे चुनावी कार्ड (प्रदर्श–ए 12) दिनांक 02.11.1983, प्रदर्श–A13, एक सामुदायिक प्रमाणपत्र दिनांक 07.11.1980, प्रदर्श–ए 14 विवाह प्रमाणपत्र दिनांक 29.04.1971,

प्रदर्श–ए 15, द्वारा जारी रसीद वादी आदि के पक्ष में भारतीय जीवन बीमा निगम। प्रदर्श–ए 20 एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो सैन्य सेवा से पहले वादी का डिस्चार्ज प्रमाणपत्र है जिसमें उसे केई दामोदरन के पुत्र के रूप में वर्णित किया गया है।प्रदर्श–ए 21 प्रथम वादी की एस एस एल सी पुस्तक है।

25. यह दिखाने के लिए रिकॉर्ड पर पर्याप्त सामग्री भी है कि चिरुथाकुट्टी को दामोदरन के परिवार से कुछ पैसे मिल रहे थे, जिसमें विशेष रूप से प्रदर्श–ए 22 और ए 23 के पत्र शामिल थे, जो कि उनकी मां चिरुथाकुट्टी द्वारा बहुत पहले पहले वादी को संबोधित किए गए थे। वर्ष 1976. विचारण न्यायालय ने मामले के इस पहलू पर निम्नानुसार चर्चा की है:

"... ..यह साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत हैं कि के.ई दामोदरन, कट्टुकंडी एडाथिल ने शादी की थी चिरुथाकुट्टी और प्रथम वादी दामोदरन का बेटा है। यह ध्यान रखना उचित है कि वादी का निश्चित मामला यह है कि परिवार वर्ष 1985 में चिरुथाकुट्टी की मृत्यु तक पारिवारिक संपत्ति से आय देता था। वादी ने प्रदर्श–ए 22 एवं ए 23 प्रस्तुत जो कि किया प्रथम प्रतिवादी को संबोधित पत्र है।

प्रदर्श–ए 22 देखने से यह पता चलता है कि इसे प्रथम वादी को उसकी मां चिरुथाकुट्टी ने बहुत पहले वर्ष 1976 में संबोधित किया था। बेशक पत्र में तारीख का उल्लेख नहीं है, लेकिन दस्तावेज़ में लगी मुहर से यह देखा जा सकता है कि वही बात सामने आई है। वर्ष 1976 में पोस्ट किया गया था। इस पत्र में यह दर्ज देखा गया है कि मां एडाथिल हाउस गई थी और तीसरे प्रतिवादी का नाम उमादाथी बताया गया है। पत्र से यह भी पता चलता है कि उन्हें परिवार से कुछ पैसे मिल रहे हैं। प्रदर्श–ए 23 में यह भी देखा गया है कि उसे परिवार से पैसा मिल रहा है और तीसरे प्रतिवादी का संदर्भ है और दूसरे प्रतिवादी यानी, तीसरे प्रतिवादी की बेटी यानी डीडब्ल्यू1 ने स्वीकार किया है कि उसे उमादथी कहा जाता है। प्रदर्श–ए 22 और ए 23 वादी के मामले का समर्थन करते हैं। पत्र प्रथम वादी को उस समय संबोधित किए गए प्रतीत होते हैं जब वह सैन्य सेवा में था। पत्रों से पता चलता है कि माँ ने जब दूसरे बच्चे का जन्म हुआ था तब भी यही लिखा था और पहले वादी की बीमारी के संबंध में भी पूछताछ की गई थी। इन पत्रों को देखने पर पता चलता है कि दस्तावेज असली हैं। मुझे यह निष्कर्ष निकालना मुश्किल लगता है कि इसे वादी पक्ष ने अपने मामले का समर्थन करने के लिए बनाया है जैसा कि प्रतिवादियों ने दावा किया है।"

26. जैसा कि ऊपर देखा गया है, वादी का तर्क यह है कि दामोदरन और चिरुथाकुट्टी का विवाह वर्ष 1940 में हुआ था। पहले वादी का जन्म 12.05.1942 को हुआ था जैसा कि प्रदर्श–ए 9 से स्पष्ट है। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज़ पक्षों के बीच विवाद उत्पन्न होने से बहुत पहले से अस्तित्व में थे। ये दस्तावेज़, पीडब्लू2 के साक्ष्य के साथ, दामोदरन और चिरुथाकुट्टी के बीच पति और पत्नी के रूप में सहवास की लंबी अवधि को दिखाते हैं। पहला वादी वर्ष 1963 में सैन्य सेवा में शामिल हुआ और वर्ष 1979 में सेवानिवृत्त हो गया। इसके बाद उसने वाद अनुसूची संपत्ति के विभाजन के लिए मुकदमा दायर करने के लिए कदम उठाए।

27. हमने प्रतिवादियों के साक्ष्यों का भी अवलोकन किया है।हमारा विचार है कि प्रतिवादी लंबे समय तक साथ रहने के कारण दामोदरन और चिरुथाकुट्टी के बीच विवाह के पक्ष में धारणा का खंडन करने में विफल रहे हैं। इन परिस्थितियों में, विचारण न्यायालय के उक्त फैसले को रद्द करना उच्च न्यायालय के लिए उचित नहीं था।

28. परिणामस्वरूप, अपील सफल होती है और तदनुसार अनुमति दी जाती है। इसमें दिए गए उच्च न्यायालय के फैसले को रद्द कर दिया गया है और विचारण न्यायालय द्वारा पारित फैसले और डिक्री को बहाल किया गया है।

दोनों पक्षों को अपनी–अपनी लागत वहन करने का निर्देश दिया गया है। पुनः: सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश XX नियम 18 के तहत अंतिम डिक्री कार्यवाही शुरू करने में देरी

29. अलग होने से पहले, हम नागरिक प्रक्रिया संहिता, 1908 (संक्षेप में, 'सीपीसी') के आदेश XX एवं नियम 18 के तहत अंतिम डिक्री तैयार करने में देरी की एक संबंधित प्रवृत्ति को संबोधित करना आवश्यक समझते हैं। यह प्रावधान विभाजन या उसमें हिस्सेदारी के अलग–अलग कब्जावारी के मुकदमों में डिक्री से संबंधित है। यह निम्नानुसार उल्लेख करता है:

"18.संपत्ति के बंटवारे या उसमें किसी हिस्से के कब्जे को अलग करने के मुकदमे में डिक्री– जहां न्यायालय संपत्ति के विभाजन के लिए या उसमें किसी हिस्से के अलग कब्जे के लिए डिक्री पारित करता है, तो, (1) यदि और जहां तक डिक्री सरकार को राजस्व के भुगतान के लिए मूल्यांकन की गई संपत्ति से संबंधित है, तो डिक्री संपत्ति में रुचि रखने वाले कई पक्षों के अधिकारों की घोषणा करेगा, लेकिन इस तरह के विभाजन या पृथक्करण को कलेक्टर, या उसके द्वारा इस संबंध में नियुक्त कलेक्टर के किसी राजपत्रित अधीनस्थ द्वारा ऐसी घोषणा एवं धारा –54 के प्रावधान अनुरूप निर्देश देगा।

(2) यदि और जहां तक ऐसी डिक्री किसी अन्य अचल संपत्ति या चल संपत्ति से संबंधित है, यदि बिना किसी जांच के विभाजन या पृथक्करण सुविधाजनक रूप से नहीं किया जा सकता है, तो न्यायालय संपत्ति में रुचि रखने वाले पक्षकारों के अधिकार की घोषणा करते हुए एक प्रारंभिक डिक्री पारित कर सकता है और आवश्यकतानुसार आगे के निर्देश दे सकते हैं।'

धारा –2 की उपधारा (2) डिक्री को इस प्रकार परिभाषित करती है:

"(2) "डिक्री" का अर्थ किसी न्यायिक निर्णय की औपचारिक अभिव्यक्ति है, जो जहां तक कि वह उसे अभिव्यक्त करने वाले न्यायालय से संबंधित है वाद मे के सभी या किन्ही वादग्रस्त विषयों के संबंध में पक्षकारों के अधिकारों का निश्चिय रूप से अवधारण करता है आर यह या तो प्रारंभिक या अंतिम हो सकता है। यह माना जाएगा कि इसमें वादपत्र की अस्वीकृति और धारा 144 के अंतर्गत किसी भी प्रश्न का निर्धारण शामिल है, लेकिन इसमें शामिल नहीं होगा –

(ए) कोई भी न्यायनिर्णयन जिसकी अपील किसी आदेश से अपील के रूप में होती है, या (बी) डिफ़ॉल्ट के लिए बर्खास्तगी का कोई आदेश।

स्पष्टीकरण.–एक डिक्री प्रारंभिक होती है जब मुकदमे को पूरी तरह से निपटाने से पहले आगे की कार्यवाही की जानी होती है। यह अंतिम है जब ऐसा निर्णय मुकदमे का पूरी तरह से निपटान कर देता है। यह आंशिक रूप से प्रारंभिक और आंशिक रूप से अंतिम हो सकता है;"

30. उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि प्रारंभिक डिक्री विभाजन के पक्षकारों के अधिकारों या शेयरों की घोषणा करती है। एक बार जब शेयरों की घोषणा कर दी जाती है और संपत्ति के वास्तव में विभाजन और विभाजित संपत्ति पर अलग–अलग पक्षों को रखने के लिए आगे की जांच की जानी बाकी है, तो ऐसी जांच की जाएगी और आगे की जांच के परिणाम के अनुसार, अंतिम निर्णय लिया जाएगा। डिक्री पारित की जाएगी। इस प्रकार, मूल रूप से, प्रारंभिक और अंतिम डिक्री के बीच अंतर यह है: एक प्रारंभिक डिक्री केवल पार्टियों के अधिकारों और शेयरों की

घोषणा करती है और प्रारंभिक डिक्री और उसके बाद दिए गए निर्देशों के अनुसार कुछ और जांच करने की गुंजाइश छोड़ती है। जांच हो चुकी है और पार्टियों के अधिकार अंतिम रूप से निर्धारित किए जा रहे हैं, ऐसे निर्धारण को शामिल करते हुए एक अंतिम डिक्री तैयार करने की आवश्यकता है।

31. अंतिम डिक्री कार्यवाही किसी भी समय शुरू की जा सकती है। अंतिम डिक्री कार्यवाही शुरू करने के लिए कोई सीमा नहीं है। मुकदमे का कोई भी पक्ष अंतिम डिक्री की तैयारी के लिए आवेदन दायर कर सकता है और प्रतिवादी में से कोई भी इस उद्देश्य के लिए आवेदन दायर कर सकता है।केवल प्रारंभिक डिक्री पारित कर देने से वाद का निपटारा नहीं हो जाता।[देखें: शुभ करण बुबना बनाम सीता सरन बुबना;[9] बिमल कुमार और अन्य बनाम शकुंतला देबी और अन्य[10]]

32. चूँकि अंतिम डिक्री कार्यवाही शुरू करने के लिए कोई सीमा नहीं है, वादी अंतिम डिक्री कार्यवाही शुरू करने के लिए अपना स्वयं का समय लेते हैं। कुछ राज्यों में, अदालतें प्रारंभिक डिक्री पारित करने के बाद मुकदमे को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर देती हैं और दोनों पक्षों को वर्तमान मामले की तरह अंतिम डिक्री कार्यवाही के लिए आवेदन करने की स्वतंत्रता होती है। कुछ अन्य राज्यों में, आदेश XX नियम 18 के तहत एक नई अंतिम डिक्री कार्यवाही शुरू की जानी है। हालाँकि, इस प्रथा को हतोत्साहित किया जाना चाहिए क्योंकि एक कार्यवाही में पक्षों के अधिकारों की घोषणा करने और राहत की मात्रा निर्धारित करने और पता लगाने के लिए अलग कार्यवाही शुरू करने की आवश्यकता का कोई मतलब नहीं है। इससे केवल डिक्री के फल की प्राप्ति में देरी होगी। शुभ करण बुबना (सुप्रा) में इस न्यायालय ने इस संबंध में प्रक्रिया में दोषों को इंगित किया था और सी पी सी में उचित संशोधन का सुझाव दिया था । इस न्यायालय की चर्चा पैराग्राफ 23 से 29 में है जो इस प्रकार है:

"**<u>बहस और विधायी कार्रवाई के लिए एक सुझाव</u>**

23. सदियों पुरानी सिविल प्रक्रिया निर्णय, डिक्री, प्रारंभिक डिक्री और अंतिम डिक्री और डिक्री के निष्पादन पर विचार करती है। वे डिक्री और निष्पादन के बीच एक "विराम" प्रदान करते हैं। प्रारंभिक डिक्री और अंतिम डिक्री के बीच अभ्यास द्वारा एक "विराम" भी विकसित किया गया है। "विराम" प्रतिवादी को प्रारंभिक डिक्री में निहित डिक्री या घोषणा का स्वेच्छा से अनुपालन करने में सक्षम बनाने के लिए है। जमीनी हकीकत यह है कि बचाव पक्ष आम तौर पर निष्पादन के बिना डिक्री का अनुपालन नहीं करते हैं। बहुत कम मामलों में विभाजन के मुकदमे में बचाव पक्ष प्रारंभिक डिक्री पारित होने पर स्वेच्छा से संपत्ति का बंटवारा करता है। बहुत कम मामलों में, मनी सूट में प्रतिवादी डिक्री के अनुसार डिक्रीटल राशि का भुगतान करते हैं। नतीजतन, दूसरे चरण में जाना आवश्यक है, यानी, निष्पादन की वसूली, या लगभग सभी मामलों में निष्पादन की वसूली के बाद अंतिम डिक्री के लिए आवेदन।

24. राहत की मांग करने वाला अदालत में आने वाला एक वादी जब अपना मामला स्थापित करने में सफल हो जाता है तो उसे कागजी डिक्री प्राप्त करने में कोई दिलचस्पी नहीं होती है। वह जो चाहता है वह राहत है। यदि यह पैसे का मुकदमा है, तो वह पैसा चाहता है। यदि यह संपत्ति का मुकदमा है, तो वह संपत्ति चाहता है। वह स्वाभाविक रूप से आश्चर्यचकित होता है कि जब वह धन की वसूली के लिए मुकदमा दायर करता है, तो उसे पहले एक वकील को नियुक्त करना चाहिए और डिक्री प्राप्त करनी चाहिए और फिर फिर से एक वकील को नियुक्त करना चाहिए और डिक्री को निष्पादित करना चाहिए। इसी तरह, जब वह विभाजन के लिए मुकदमा दायर करता

है, तो उसे आश्चर्य होता है कि उसे पहले प्रारंभिक डिक्री क्यों सुरक्षित करनी है, फिर एक आवेदन दायर करना है और अंतिम डिक्री प्राप्त करना है और फिर वास्तविक राहत पाने के लिए निष्पादन दायर करना है। सामान्य प्रश्न यह है: एक सतत प्रक्रिया क्यों नहीं? वादी इस बात से हैरान है कि जब धन डिक्री पारित की जाती है, तो अदालत भुगतान की तारीख क्यों तय नहीं करती है और यदि भुगतान नहीं किया जाता है, तो निष्पादन के लिए आगे क्यों नहीं बढ़ती है; जब विभाजन के मुकदमे में प्रारंभिक डिक्री पारित की जाती है, तो अदालत तुरंत विभाजन के लिए आयुक्त की नियुक्ति की तारीख क्यों नहीं तय करती है और अंतिम डिक्री कर उसके अलग किए गए हिस्से का वास्तविक कब्ज़ा क्यों नहीं दिलाती है।उसके लिए अदालत को याद दिलाना और विभिन्न चरणों में अदालत का दरवाजा खटखटाना क्यों जरूरी है?

25. मुकदमों को प्रारंभिक डिक्री कार्यवाही, अंतिम डिक्री कार्यवाही और निष्पादन कार्यवाही में कृत्रिम विभाजन के कारण, कई परीक्षण न्यायाधीशों का मानना है कि अधिकार का न्यायिक कार्य होने के नाते, उन्हें उस हिस्से पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। परिणामस्वरूप, अंतिम डिक्री कार्यवाही और निष्पादन कार्यवाही को पर्याप्त महत्व नहीं दिया जाता है, जिन्हें लिपिकवर्गीय कार्य माना जाता है। यह सुनिश्चित करने के बजाय कि वादी को राहत मिले, मामलों का निपटारा करने पर ध्यान केंद्रित है। लेकिन ध्यान न केवल मामलों के शीघ्र निपटान पर होना चाहिए, बल्कि राहत की शीघ्र और आसान सुरक्षा पर भी होना चाहिए, जिसके लिए पक्ष अदालत का दरवाजा खटखटाता है। वकीलों के बीच भी केवल डिक्री हासिल करने को महत्व दिया जाता है, राहत हासिल करने को नहीं। कई वकील प्रारंभिक डिक्री होने तक ही मुकदमों को संभालते हैं, फिर अंतिम डिक्री कार्यवाही करने के लिए इसे अपने कनिष्ठों को सौंप देते हैं और फिर निष्पादन कार्यवाही आयोजित करने के लिए इसे अपने क्लर्कों को दे देते हैं।

26. कई बार, एक पक्ष प्रारंभिक डिक्री प्राप्त करने तक अपने वित्त और ऊर्जा को समाप्त कर लेता है और उसके पास अंतिम राहत पाने के लिए मामले को आगे बढ़ाने की न तो क्षमता होती है और न ही ऊर्जा। परिणामस्वरूप, हमने ऐसे मामले पाए हैं जहां एक मुकदमे का डिक्री या प्रारंभिक डिक्री एक या दो साल के भीतर दी जाती है, अंतिम डिक्री की कार्यवाही और निष्पादन को पूरा होने में दशकों लग जाते हैं। यह एक ऐसा क्षेत्र है जो नागरिक न्याय प्रणाली की विश्वसनीयता में काफी देरी और परिणामी हानि में योगदान देता है। अदालतों और वकीलों को अंतिम डिक्री कार्यवाही और निष्पादन को उतना ही महत्व देना चाहिए जितना वे मुख्य मुकदमों को देते हैं।

27. वर्तमान प्रणाली में, जब विभाजन के लिए प्रारंभिक डिक्री पारित की जाती है, तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि वादी को डिक्री का फल मिलेगा। प्रिवी काउंसिल की कहावत है कि एक वादी की कठिनाइयाँ तब शुरू होती हैं जब वह एक डिक्री प्राप्त करता है। यह याद रखना आवश्यक है कि किसी मुकदमे में सफलता का किसी पक्ष के लिए तब तक कोई मतलब नहीं है जब तक कि उसे राहत न मिल जाए। इसलिए, वास्तव में सार्थक और कुशल होने के लिए, संहिता की योजना को एक पक्ष को न केवल शीघ्र डिक्री प्राप्त करने में सक्षम बनाना चाहिए, बल्कि शीघ्र राहत भी प्राप्त करनी चाहिए।इसके लिए नागरिक मुकदमेबाजी के संबंध में एक वैचारिक परिवर्तन की आवश्यकता है, ताकि न केवल मुकदमों के निपटान पर जोर दिया जाए, बल्कि वादी को राहत दिलाने पर भी जोर दिया जाए।

28. हमें उम्मीद है कि विधि आयोग और संसद इस मुद्दे पर अपना ध्यान देंगे और उचित सिफारिशें/संशोधन करेंगे ताकि मुकदमा शुरू होने के चरण से लेकर वास्तविक राहत हासिल करने के चरण तक एक सतत प्रक्रिया बनी रहे।

29. वर्तमान प्रणाली जिसमें अधिकार की घोषणा के लिए एक कार्यवाही, राहत की मात्रा निर्धारित करने या सुनिश्चित करने के लिए एक अलग कार्यवाही और राहत को सुरक्षित करने के लिए डिक्री के प्रवर्तन के लिए एक और अलग कार्यवाही शामिल है, पुरानी हो गई है और वर्तमान आवश्यकताओं के लिए अनुपयुक्त है। यदि अंतिम डिक्री कार्यवाही के लिए अलग–अलग नंबर निर्दिष्ट करने की प्रथा है, तो इससे बचा जाना चाहिए। प्रत्येक चरण में प्रतिवादियों को नए नोटिस जारी करने से भी बचना चाहिए।सिविल प्रक्रिया संहिता को मुकदमा दायर करने के चरण से राहत प्राप्त करने के चरण तक एक सतत और निर्बाध प्रक्रिया प्रदान करनी चाहिए।

33. हमारा विचार है कि एक बार विचारण न्यायालय द्वारा प्रारंभिक डिक्री पारित कर दिए जाने के बाद, अदालत को स्वत: संज्ञान लेते हुए अंतिम डिक्री तैयार करने के लिए मामले को आगे बढ़ाना चाहिए। प्रारंभिक डिक्री पारित होने के बाद, विचारण न्यायालय को सीपीसी के आदेश XX नियम 18 के तहत कदम उठाने के लिए मामले को सूचीबद्ध करना होगा। अदालतों को मामले को अनिश्चित काल के लिए स्थगित नहीं करना चाहिए, जैसा कि इस मामले में किया गया है। अलग से अंतिम डिक्री की कार्यवाही दायर करने की भी कोई आवश्यकतान हीं है। उसी मुकदमे में, अदालत को संबंधित पक्ष को अंतिम डिक्री तैयार करने के लिए उचित आवेदन दायर करने की अनुमति देनी चाहिए। यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि मुकदमा तभी समाप्त होता है जब अंतिम डिक्री तैयार हो जाती है। इसलिए, हम विचारण न्यायालय को निर्देश देते हैं कि संपत्ति के विभाजन और अलग कब्जे के लिए प्रारंभिक डिक्री पारित होने के तुरंत बाद, बिना किसी अलग कार्यवाही शुरू किए, सी पी सी के आदेश XX नियम 18 के तहत कदम उठाने के लिए मामले को सूचीबद्ध करें।

34. हम इस न्यायालय की रजिस्ट्री को इस निर्णय की एक प्रति सभी संबंधित राज्य के उच्च न्यायालयों के रजिस्ट्रार जनरलों को भेजने का निर्देश देते हैं, जिन्हें बदले में इस निर्णय के पैराग्राफ '33' में निहित निर्देशों को संबंधित विचारण न्यायालय में प्रसारित करने का निर्देश दिया जाता है।

1. AIR 1927 PC 185
2. AIR 1929 PC 135
3. (1978) 3 SCC 527
4. (1994) 1 SCC 460
5. (2008) 4 SCC 520
6. (2009) 9 SCC 299
7. (2010) 9 SCC 209
8. (2013) 15 SCC 755
9. (2009) 9 SCC 689
10. (2012) 3 SCC 548

पी के गोस्वामी